न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 136/2021 GCMS No. 2021/287
दायरा तिथि : 12.11.2021
फैसला तिथि : 17-11-2021
प्रार्थीगण::–

1. उर्मिला पुत्री नारायणसिंहजी
2. श्रीमति रूकमण कंवर धर्मपत्नि नारायणसिंहजी
3. ललितसिंह पुत्र नारायणसिंहजी तमाम जाति राव
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::–

दिनांक 17-11-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीटवाडा में स्थित भूमि खसरा नंबर 586 रकबा 0.85 हैक्टर प्रार्थीगण के पिता/पति नारायणसिंह पुत्र नवलसिंह एवं बहादुरसिंह पुत्र नवलसिंहजी की संयुक्त खातेदारी की रही हैं। जिसके विभाजन के बाद खसरा नंबर 586/1 रकबा 0.42 हैक्टर नारायणसिंह पुत्र नवलसिंह के बंट में एवं खसरा नंबर 586 रकबा 0.43 हैक्टर जयसिंह पुत्र नवलसिंह के बंट कब्जे में रखी गई। राजस्व कर्मचारियो ने लापरवाही एवं दोषपुर्ण तरीके से कार्यवाही करते हुए खसरा नंबर 586/1 व 586 के पूर्व में रास्तानुमा आकृति दर्शाई है जो खसरा नंबर 548 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. रास्ता से खसरा नंबर 588 तक हैं। उक्त आकृति के न तो कोई खसरा नंबर है न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में आकृति हैं। इस प्रकार खसरा नंबर 586, 586/1 के पूर्व में नक्शे में दिखाई दे रही रास्तानुमा आकृति को विलोपित किया जाकर प्रार्थीगण को प्रशासन गांवो के संग अभियान से लाभान्वित किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बाली ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से सहमति व्यक्ति करते हुये तहसील ऑनलाईन DILRMP कार्यक्रम के दौरान् ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 548 रकबा 0.03 हैक्टर की नक्शे में खसरा नंबर 586/1 व 586 के पूर्व में रास्तानुमा आकृति त्रुटिपुर्ण दर्ज होना तथा मौके एवं पूर्व नक्शे के अनुरूप नहीं होने से पटवारी हल्का भीटवाडा द्वारा तैयार रिपोर्ट व मौका फर्द में वर्णित प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार नक्शे में शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की गई।

इस सवंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के नियम 166 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार अभिलेख में लेखनी की भूलों को ठीक करने के लिए आज्ञा फर्द बदर पर दी जा सकती है, इस प्रकार चालू जमाबंदी में हुई लिपिकिय त्रुटि को फर्द बदर के जरिये दुरस्त किया जा सकता है। परन्तु उक्त प्रकरण में जमाबंदी में त्रुटि न होकर नक्शे में तरमीम में त्रुटि हुई है, वह त्रुटि भी ऑनलाईन DILRMP कार्यक्रम के दौरान होना तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है, जिसको नियमानुसार राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्ध कर दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में नक्शा (मानचित्र) के संबध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं सबंधित राजस्व अधिकारी नक्शे की शुद्धि के लिये जिम्मेदार हैं। इस संबध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार– उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ–साथ अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता हैं। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई हैं। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसील ऑनलाईन DILRMP कार्यक्रम सेग्रीगेशन के दौरान् ग्राम भीटवाडा के नक्शा में खसरा नंबर 586/1 व 586 के पुर्व दिशा में रास्तानुमा आकृति दर्शाई है जो खसरा नंबर 548 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. रास्ता से खसरा नंबर 588 तक हैं, उक्त आकृति के न तो कोई खसरा नंबर है न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में उक्त आकृति हैं। जिससे ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 586, 586/1 के पूर्व दिशा में नक्शे में दिखाई दे रही रास्तानुमा आकृति को विलोपित किया जाता हैं। इसी अनुसार नक्शे में शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी हल्का भीटवाडा व निरीक्षक भू0 गोखमपुरा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट व मौका नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से खारिज हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 17-11-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner